कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, 6वॉ तल उ0प्र0, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3/2019/841 लखनऊः दिनांक 12 अप्रैल 2019

यू0पी0 नीट पी0जी0–2019 की द्वितीय चक्र की ऑन लाईन कांउसिलिंग हेतु महत्वपूर्ण सूचना/दिशा निर्देश

- द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने प्रथम चक्र कांउसिलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उन्हे पुनः रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नही है, तथा ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम चक्र की काउंसिलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन तो करा लिया गया परन्तु किन्ही कारणों से रजिस्ट्रेशन शुल्क नही जमा कर सके है, वह रजिस्ट्रेशन जमा कराकर कांउसिलिंग प्रकिया में प्रतिभाग कर सकते है।
- ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चक्र की कांउसिंलिंग में रजिस्ट्रेशन नही करा सके है, वे अभ्यर्भी रू0 2000/– पंजीकरण शुल्क जमा कर अपना पंजीकरण करा सकते है।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे प्रथम चक्र की कांउसिलिंग से आवंटन प्राप्त हो गया था, परन्तु प्रवेश नही लिया गया है, वे पुनः सिक्योरिटी धनराशि जमा कर द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग में प्रतिभाग कर सकते है।
- सिक्योरिटी धनराशि के रूप में राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों की सीटों हेतु रू0 30,000/– (रूपये तीस हजार मात्र) निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की सीटों हेतु रू0 2,00,000/–(रूपये दो लाख मात्र) तथा निजी क्षेत्र के डेंटल कालेजों की सीटों हेतु रू0 1,50,000/–(रूपये एक लाख पचास हजार मात्र) **नेट बैंकिग, क्रेडिट कार्ड व एन0ई0एफ0टी0** (NEFT) के माध्यम से आन–लाईन भुगतान **(रजिस्ट्रेशन के उपरान्त)** करते हुये काउंसिलिग प्रक्रिया में **बैंक द्वारा एम0आई0एस0/भुगतान की पुष्टि होने के उपरान्त ही विकल्प भर सकते** है।
- प्रथम चक्र की कांउसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थियों को छोडकर नये अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय समस्त शैक्षणिक/जाति प्रमाण पत्र मूल रूप में नोडल सेन्टर पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में प्रवेश पर विचार नही किया जायेगा।
- प्रथम चक्र की कांउसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग के माध्यम से पुनरावंटन हुआ है, उनको पूर्व के नोडल सेन्टर से प्रवेश से संबंधित समस्त प्रमाण तथा शिक्षण शुल्क की रसीद के साथ नवीन नोडल सेंटर पर प्रस्तुत कर प्रवेश प्रकिया पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
- प्रथम एवं द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी प्रवेश प्रकिया पूर्ण करने के पश्चात् तत्काल अपने आवंटित कालेज में योगदान प्रस्तुत करेंगें।
- द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग से पुनरावंटित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय संबंधित नोडल सेंटर पर शिक्षण शुल्क की अन्तर की धनराशि (यदि शिक्षण शुल्क अधिक है) का बैंकड्राफ्ट जो **DIRECTOR GENERAL, MEDICAL EDUCATION & TRAINING, U.P. PAYABLE AT LUCKNOW** के नाम देय

हो जमा किया जायेगा तथा यदि कालेज का शिक्षण शुल्क कम है, तो उस स्थिति मे अन्तर की धनराशि कालेज की सिक्योरिटी/छात्रावास शुल्क मे समायोजित की जायेगी।

- द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को आवश्यक मूल प्रमाण–पत्र व आवंटित कालेज की ट्यूशन फीस का बैंक ड्राफ्ट जो **DIRECTOR GENERAL, MEDICAL EDUCATION & TRAINING, U.P. PAYABLE AT LUCKNOW** के नाम देय होगा, नोडल सेन्टर पर जमा करना अनिवार्य होगा।
- यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम चक्र की कांउसिलिंग से आंवटित होकर प्रदेश के किसी भी मेडिकल/डेंटल कालेज की सीट पर प्रवेश प्राप्त कर लेता है, तत्पश्चात् आल इण्डिया या अन्य प्रदेश की कांउसिलिंग के माध्यम से किसी अन्य सीट पर आवंटन प्राप्त करता है और वह उत्तर प्रदेश की प्रथम कांउसिलिंग से आवंटित सीट से त्यागपत्र देना चाहता है (त्यागपत्र के समय अन्य कांउसिलिंग से प्राप्त आवंटन पत्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा) तो ऐसे अभ्यर्थी 22 अप्रैल 2019 को सायं 5:00 बजे तक अपनी सीट से त्यागपत्र दे सकते है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये शिक्षण शुल्क की कुल धनराशि में से 10 प्रतिशत की कटौती धनराशि का आकलन करते हुये नया बैंक ड्राफ्ट अपने स्तर से बनवाकर नोडल सेंटर पर जमा करने के उपरान्त पूर्व में जमा किया गया शिक्षण शुल्क का बैंक ड्राफ्ट नोडल सेंटर से प्राप्त कर सकते है।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से आवंटन प्राप्त होने के पश्चात् प्रवेश ले लिया गया है तथा द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग के माध्यम से सीट अपग्रेड करना चाहते है, वह सीट अपग्रेड होने के पश्चात् उनकी पूर्व की सीट स्वतः निरस्त हो जायेगी। **द्वितीय काउन्सिलिंग के माध्यम से कोई अन्य सीट या प्रथम काउन्सिलिंग से आवंटित सीट पुनः आवंटित हो जाने पर अभ्यर्थी को नोडल सेन्टर पर रिपोर्ट करना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति मे आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा। पूर्व आंवटित सीट रिटेन (Retain) नही रहेगी,** जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
- यदि सीट अपग्रेड नहीं होती है, तो प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित (प्रवेशित) सीट यथावत् रहेगी।
- **च्वाईस फिलिग के उपरान्त च्वाईस लाक किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में काउंसिलिंग प्रकिया में अभ्यर्थी को सम्मिलित नही किया जायेगा।**
- **सत्र 01 मई 2019 से प्रारम्भ होगा।**
- अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें एवं विस्तृत विवरण वेबसाईट ***<u>https://upneet.gov.in</u>* & *<u>www.updgme.in</u>*** पर देखी जा सकती है। अद्यतन सूचनाओं की जानकारी हेतु समय–समय पर उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहें।

महानिदेशक